न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 2/2024

राजस्थान सरकार जरिये नीरज कुमार जैन, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

श्री कमलेश छाबलानी

पुत्र कैलाश नारायण अग्रवाल

कुत्ताशाला के सामने, गंज, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार
श्री कमलेश छाबलानी अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 25.09.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 18.1.2024 को श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के आदेशानुसार उर्स मेला के तहत घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत जाच दल में श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी, श्री हेमन्त कुमार आर्य, प्रवर्तन अधिकारी, श्री योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अंकुश अग्रवाल, प्रवर्तन निरीक्षक अजमेर शहरी क्षेत्र में श्री कमलेश छाबलानी पुत्र श्री प्रकाश छाबलानी,गणेश डेयरी, कुत्ताशाला के सामने, गंज अजमेर पहुँचे । दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर लगा कर व्यवसायिक दुरूपयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए । उक्त स्थान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग कर दुरूपयोग करना पाया गया यह घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग की पुष्टि करता है। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1)(सी) की अवहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर शाहरूख खॉ पुत्र अब्दुल लतीफ कार्मिक मैसर्स वर्धमान इण्डेन गैस एजेन्सी, अजमेर को बुलवाकर कांटे से वजन करवाने पर सिलेण्डर विवरण निम्नानुसार पाया गया ।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	337972	BPCL	15.8	16.8	1.0

जिला कलक्टर
अजमेर

2	028871	IOCL	15.7	22.7	7.0

सिलेण्डर को पर शाहरूख खाँ पुत्र अब्दुल लतीफ कार्मिक मैसर्स वर्धमान इण्डेन गैस एजेन्सी, अजमेर को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुर्पुदगी में दिए गए । प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 18.01.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये दो घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि दिनांक 18.1.2024 को रसद विभाग के अधिकारी मेरी दुकान पर आये थे और उस समय मेरे पडौसी अपने गैस सिलेण्डर सभलवाने के लिए रख गये थे, गैस सिलेण्डर उस समय किसी भी प्रकार की व्यवसायिक कार्य हेतु उपयोग नही किए थे परन्तु रसद विभाग द्वारा जबरदस्ती सिलेण्डर जब्त किए गए। अतः गैस सिलेण्डर लौटाने की कार्यवाही करे

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया, प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 27.05.2024 के अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये दो गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, अजमेर